19/3/21

समाहरणालय, समस्तीपुर।

(परिवहन प्रशाखा)

—: उपावंटन आदेश :—

सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना के सं0सं0–03/प्र0–बजट आवंटन (3055)–02–07/2020, पत्रांक 52, दिनांक 18.03.2021 द्वारा राज्य योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 में परिवहन विभाग, बिहार, पटना द्वारा संचालित **"मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना"** हेतु मुख्य शीर्ष–3055–सड़क परिवहन–उप मुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–199–अन्य गैर सरकारी संस्थाओं को सहायता उप शीर्ष 0101–मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना विपत्र कोड–47–3055001990101 विषय शीर्ष–0101.33.01 सब्सिडी अन्तर्गत 2000000.00 (बीस लाख रू0), मुख्य शीर्ष–3055–सड़क परिवहन–उप मुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना उप शीर्ष 0101–मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना विपत्र कोड–47–3055007890101 विषय शीर्ष–0101.33.01 सब्सिडी अन्तर्गत 3000000.00 (तीस लाख रू0) कुल 5000000.00 (पचास लाख) रू0 का CFMS के माध्यम स्वीकृत्यादेश प्राप्त हुआ है। CFMS प्रतिवेदन के आधार पूर्व से जिला लॉगिन में EBC कोटि में मो0 5884.00 (पॉच हजार आठ सौ चौरासी रू0), SC कोटि में मो0 31805.00 (एकतीस हजार आठ सौ पॉच) रू0 एवं ST कोटि में मो0 330000.00 (तीन लाख तीस हजार) रू0 शेष है।

वर्त्तमान में प्रखंडों द्वारा प्राप्त अधियाचना के आलोक में निम्न प्रखंडों को CFMS के माध्यम से उनके नाम के सामने स्तंभ 03,04 एवं 05 द्वारा कुल 5096000.00 (पचास लाख छियानवे हजार) रू0 (स्तंभ–06) उपावंटित किया जाता है :–

क्र0	प्रखंड का नाम	मुख्य शीर्ष–3055–सड़क परिवहन–उप मुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–199–अन्य गैर सरकारी संस्थाओं को सहायता उप शीर्ष 0101–मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना विपत्र कोड–47–3055001990101 विषय शीर्ष–0101.33.01 सब्सिडी	मुख्य शीर्ष–3055–सड़क परिवहन–उप मुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना उप शीर्ष 0101–मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना विपत्र कोड–47–3055007890101 विषय शीर्ष–0101.33.01 सब्सिडी	मुख्य शीर्ष–3055–सड़क परिवहन–उप मुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना–उपशीर्ष 0101–मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना विपत्र कोड–47–3055007960101 विषय शीर्ष–0101.33.01 सब्सिडी	कुल उपावंटित राशि
01	02	03	04	05	06
1	दलसिंहसराय	280000.00	170000.00	0.00	450000.00
2	मोरवा	250000.00	0.00	0.00	250000.00
3	समस्तीपुर	0.00	70000.00	0.00	70000.00
4	हसनपुर	270000.00	0.00	0.00	270000.00
5	विभूतिपुर	300000.00	956000.00	0.00	1256000.00
6	कल्याणपुर	200000.00	200000.00	0.00	400000.00
7	ताजपुर	300000.00	500000.00	100000.00	900000.00
8	पटोरी	0.00	500000.00	0.00	500000.00
9	उजियारपुर	400000.00	600000.00	0.00	1000000.00
	कुल	2000000.00	2996000.00	100000.00	5096000.00

1. विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 140, दिनांक 18.03.2021 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना हेतु निहित अनुदेश के अनुरुप राशि का निकासी प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा।
2. राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2020–21 में राज्य योजना में मांग संख्या 47 से की जायेगी।
3. यह आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या –एम–4–05/98–2561 वि. (2) दिनांक 17.04.1998 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत है।
4. लाभुकों को आवंटित राशि का भुगतान प्रखंड विकास पदाधिकारियों द्वारा विभागीय अधिसूचना संख्या 823, दिनांक 05.09.2018 एवं विभागीय अधिसूचना संख्या–6297, दिनांक 08.08.2019 के आलोक में पूरी छान–बीन एवं आवश्यक जॉच के बाद किया ज़ायेगा। साथ हीं यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि कोई भी छद्मपूर्ण या अनियमित भुगतान न हो। अनुदान की राशि लाभुक के खाते में अंतरित करने के पूर्व लाभुक से चयनित वाहन का निबंधन पुस्त, बीमा से संबंधित कागजात एवं विक्रय पत्र प्राप्त किये जायेंगे।

   यदि वाहन खरीदने हेतु किसी वित्त पोषण संस्था से ऋण लिया गया हो तो विभागीय अधिसूचना सं0–6297, दिनांक 08.08.2019 के आलोक में लाभुक से वित्त पोषण संस्थान को राशि अंतरण हेतु लाभुक द्वारा RTGS TRANSFER प्रपत्र प्राप्त किया

जाएगा। साथ हीं लाभुक से इस आशय का स्वघोषणा पत्र प्राप्त किया जाएगा कि सरकार से लाभुक को प्राप्त अनुदान की राशि को लाभुक के बैंक खाते से ऋण देने वाले वित्तीय संस्थान के बैंक खाते में सीधे अंतरित करने का अधिकार संबंधित बैंक को होगा। इस संबंध में विभागीय अधिसूचना संख्या–6297, दिनांक 08.08.2019 को पूर्ण रूप से पालन किया जायेगा।

5. इस राशि की निकासी संबंधित कोषागार से बिहार कोषागार संहिता 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में की जायगी। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्यशीर्ष/लघुशीर्ष/उप शीर्ष आदि का स्पष्ट मुहर हो एवं विपत्र कोड तथा मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाय ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।
6. वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाय ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।
7. राशि निकासी एवं व्यय संबंधी प्रतिवेदन प्रत्येक माह 5 वीं तारीख को जिला कार्यालय एवं जिला परिवहन कार्यालय, समस्तीपुर को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
8. उपावंटित राशि का उपयोग होने के पश्चात उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी प्रति अधोहस्ताक्षरी को अविलम्ब उपलब्ध करा दिया जाय। राशि की निकासी से संबंधित टी0वी0 नं0, तिथि एवं कोषागार के नाम सहित विवरणी अधोहस्ताक्षरी को एवं जिला परिवहन पदाधिकारी, समस्तीपुर को निश्चित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
9. किसी प्रकार की गलत/अनियमित निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार होंगे।

ह0/–
जिला पदाधिकारी,
समस्तीपुर।

ज्ञापांक 470/दिनांक 19.03.21

प्रतिलिपि :– सभी संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी, समस्तीपुर जिला को सूचनार्थ एवं निदेश है कि शीघ्र भुगता सुनिश्चित करते हुए भौतिक एवं वित्तीय प्रतिवेदन अचुक रूप से जिला परिवहन कार्यालय, समस्तीपुर व उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :– वरीय कोषागार पदाधिकारी, समस्तीपुर/रोसड़ा/दलसिंहसराय/पटोरी जिला को सूचनार्थ एवं आवश्य कारवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी अनुमंडल पदाधिकारी, समस्तीपुर जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं इस आवंटन आदेश को समस्तीपुर वेबसाईट पर अपलोड हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– मेकर, चेकर एवं एप्रुभर, जिला स्थापना कार्यालय, समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं निदेश दिया जाता है रा हस्तांतरण तत्क्षण करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :– स्थापना उप समाहर्त्ता, समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– संयुक्त सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

19/3

जिला पदाधिकारी,
समस्तीपुर।